कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

–:: संशोधित आदेश ::–

क्रमांक / **5116** / कोरोना / 2020 रायगढ़, दिनांक 14 / 05 / 2020

वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं छ0ग0 शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश / एडवायजरी के अनुपालन में कोविड–19 के प्रोटोकाल अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जिला रायगढ़ को ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया गया है। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश कमांक 40–3 / 2020–DM-1(A) दिनांक 01–05–2020 में दिये दिशा–निर्देश / गाईड लाईन के अनुक्रम में कार्यालयीन आदेश कमांक–3679 / कोरोना सेल / 2020 दिनांक 03 / 05 / 2020 के द्वारा अनुमति प्राप्त दुकानों का संचालन प्रातः 07:00 बजे से सायं 04:00 बजे दी गई थी जिसमें आंशिक संशोधन करते हुये सोशल डिस्टेंस / फिजीकल डिस्टेंस का पालन करते हुये एवं 50% कर्मचारियों की उपस्थिति (मास्क पहनने के निर्देश) के साथ **अनुमति प्राप्त दुकानों के संचालन का समय प्रातः 07:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक** सशर्त आगामी आदेश पर्यन्त एतद्द्वारा निर्धारित किया जाता है।

परन्तु निम्नांकित गतिविधियों के संचालन का समय निम्नानुसार आगामी आदेश पर्यन्त यथावत निर्धारित किया जाता है :–

1– सब्जी का विकय सशर्त – **प्रातः 07:00 बजे से प्रातः 10 बजे तक (प्रतिदिन)**

2– खाद्य प्रदार्थ, ब्रेड, फल, चिकन, मटन, मछली एवं अण्डा के विकय / वितरण, भंडारण / परिवहन की गतिविधियां सशर्त – **समय प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक (प्रतिदिन)**

3– दूध डेयरी, मिल्क डेयरी प्रतिदिन सशर्त – **प्रातः 07:00 बजे से सुबह 10:00 बजे तक एवं सायं 05:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक खुली रहेंगी। (प्रतिदिन)**

4– पान दुकान एवं सेलून / नाई दुकान का संचालन सशर्त– **प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक**। (माह मई के प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को छोड़कर)

उपरोक्त अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संचालन हेतु पूर्व में जारी शेष शर्तें यथावत रहेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(यशवन्त कुमार)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ0क्रमांक–**5116–ए** / कोरोना सेल / 2020 रायगढ़, दिनांक 14 / 05 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, गृह विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर
3. सचिव, छ0ग0 शासन, आपदा प्रबंधन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर
4. ~~सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल~~ नगर रायपुर
5. सचिव, छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर

—— की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित्।

Scanned with CamScanner

6. आयुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर,
7. महानिरीक्षक (पुलिस), बिलासपुर रेंज, बिलासपुर,
   —— की ओर सूचनार्थ सादर सम्पेषित।
8. पुलिस अधीक्षक, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ की सूचनार्थ।
11. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, रायगढ़ जिला।
12. उप संचालक, जनसम्पर्क, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
13. सर्व तहसीलदार, रायगढ़ जिला।
14. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायगढ़ जिला।
15. सर्व मुख्य नगर पालिका परिषद्/पंचायत, रायगढ़ जिला
16. समस्त दुग्ध विक्रेता जिला रायगढ़ जिला
   ——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with CamScanner